कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / माध्य / संस्था–सी–8 / नियुक्ति / आरपीएससी–2015 / 2018 / दिनांक 17/10/2018

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
(समस्त सम्भाग)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
स्कूल शिक्षा, (समस्त जिला)

विषयः– व्याख्याता भर्ती–2015 एवं वरिष्ठ अध्यापक–विभिन्न विषय प्रतियोगी परीक्षा–2016 में चयनित आशार्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर के पत्रांक प. 7(1)शिक्षा–2 / सीधी भर्ती / चयनित / पदस्थापन / 2018 जयपुर दिनांक 16. 10.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा व्याख्याता भर्ती–2015 एवं वरिष्ठ अध्यापक–विभिन्न विषय प्रतियोगी परीक्षा–2016 में चयनित ऐसे आशार्थी जिनके नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके थे, परन्तु आदर्श चुनाव आचरण संहिता के कारण कार्यग्रहण नहीं कर पाये थे, उन नवनियुक्ति अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराने की अनुमति निर्वाचन विभाग, राजस्थान के पत्रांक–एफ.3(1)(9)I/Elect/2018/6965 दिनांक 08.10.2018 द्वारा गठित स्क्रिनिंग समिति से तथा सामान्य प्रशासन विभाग की आई डी संख्या–3622 / पीएस / जीएडी / 18 दिनांक 16.10.2018 के द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रदत्त सहमति के आधार पर व्याख्याता भर्ती–2015 एवं वरिष्ठ अध्यापक–विभिन्न विषय प्रतियोगी परीक्षा–2016 में चयनित ऐसे आशार्थी जो आदर्श चुनाव आचरण संहिता के कारण कार्यग्रहण नहीं कर पाये थे, उन्हें तत्काल कार्यग्रहण करवाया जावें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

01. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
02. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा–मुख्यालय।
03. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकरी, स्कूल शिक्षा।
04. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को देकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलॉड किया जाना सुनिश्चित करावें।
05. संबंधित संस्था प्रधान।
06. संबंधित अभ्यर्थी।
07. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर